

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अगस्त 2017—श्रावण 14, शक 1939

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-1-55-2009-दो-ए-(3).—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46/1974) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा श्री सुनील राज नायर, आवंटन अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 01 अगस्त, 2017 से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर निगम भोपाल सीमा क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

No. F-1-55-2009-II-A-(3).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali) Adhinyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoint Shri Sunil Raj Nair, Allotment Officer, Directorate of Estates, Bhopal as competent authority, with effect from the date 01 August 2017 of his taking over charge for the purpose of the said Adhinyam within jurisdiction of Muncipal Corporation Bhopal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शेखर वर्मा, उपसचिव.